उपायुक्त का न्यायालय, कोडरमा

कन्फिस्केशन वाद संख्या–30 / 2020

राज्य बनाम संजय दारूका।

आदेश

जिला खनन् पदाधिकारी, कोडरमा के प्रतिवेदनानुसार अधोहस्ताक्षरी आदेश पत्रांक–425 / एम0 कोडरमा दिनांक 13.06.2020 के आलोक में दिनांक 27.06.2020 को समय 12:17 बजे अपराहन् में अनुमण्डल पदाधिकारी, कोडरमा की अध्यक्षता में गठित समिति जिला खनन पदाधिकारी, कोडरमा, राज्य कर उपायुक्त, कोडरमा अंचल, पुलिस उपाधीक्षक (मु0), कोडरमा, सहायक वन संरक्षक, प्रादेशिक वन प्रमंडल, कोडरमा, कारखाना निरीक्षक, अंचल हजारीबाग–2, हजारीबाग ,खान निरीक्षक, जिला खनन कार्यालय, कोडरमा एवं थाना प्रभारी, तिलैया द्वारा कोडरमा जिलान्तर्गत कोडरमा अंचल के तिलैया बस्ती (सांई स्टील प्लॉट के सामने), पो0–झुमरी तिलैया, थाना–तिलैया में स्थित माईका (अभ्रक) खनिक के फैक्ट्री / गोदाम का संयुक्त निरीक्षक किया गया। निरीक्षणोंपरान्त उनके द्वारा उल्लेखित किया गया है कि स्थल पर श्री संजय दारूका, पिता–श्री मधुसूदन दारूका, पता–नन्दी बाबा चौक, पो0–झुमरी तिलैया, थाना–तिलैया, जिला–कोडरमा उपस्थित पाये गये, जिनके द्वारा बताया गया कि उक्त गोदाम मेरे द्वारा संचालित किया जा रहा है। निरीक्षण के क्रम में गोदाम में माईका लगभग 75 टन एवं माईका फ्लैक्स 920 बोरा (50 किलोग्राम प्रति बोरा) भंडारित पाया गया। भंडारित खनिज के संबंध में श्री संजय दारूका द्वारा खनिज की वैधता के संबंध में कागजात तथा भंडारण अनुज्ञप्ति प्रस्तुत नहीं किया गया, न ही कोई अन्य कागजात प्रस्तुत किया गया। स्थल पर भंडारित खनिज को जप्त कर लाना संभव नहीं होने के कारण उक्त खनिज को Jharkhand Minerals (Prevention of illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2017 के नियम–11 (i) के अनुसार जप्त करते हुए नियम–11 (iv) के अनुसार वही जप्ति सूचि बनाकर श्री संजय दारूका, पिता–श्री मधुसूदन दारूका, पता–नन्दी बाबा चौक, पो0–झुमरी तिलैया, थाना–तिलैया, जिला–कोडरमा को सुरक्षा हेतु जिम्मा दिया गया एवं उक्त माईका (अभ्रक) गोदाम को सील कर दिया गया।

जिला खनन् पदाधिकारी, कोडरमा के प्रतिवेदनानुसार उनके कार्यालय अभिलेख में श्री संजय दारूका, पिता–श्री मधुसूदन दारूका, पता–नन्दी बाबा चौक, पो0–झुमरी तिलैया, थाना–तिलैया, जिला–कोडरमा को खान एवं भूतत्व विभाग / जिला खनन कार्यालय, कोडरमा द्वारा कोई खनिज भंडारण अनुज्ञप्ति निर्गत नही है।

Jharkhand Minerals (Prevention of illegal Mining, Transportation and Storage) Rule, 2017 के नियम–11 (v) के आलोक में राज्यसात की कार्रवाई प्रारम्भ करते हुए उभय पक्ष को नोटिस निर्गत

किया गया।

विपक्षी संजय दारूका के द्वारा वकालतनामा के साथ उपस्थित होकर विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से जवाब दाखिल किया गया। जो निम्न प्रकार है :–

That the present confiscation case has been initiated at the instance of District Mining Officer, Koderma under the above noted section whereby the learned Court has been pleased to issue show-cause notice as to why the Mica flakes under storage at the premises of the respondent be not confiscated.

That the respondent is shocked and surprised at the initiation of Confiscation proceeding by the District Mining Officer, Koderma under Rule 11 (v) of Jharkhand Minerals (Prevention of illegal Mining, Transportation and Storage) Rule, 2017 as because seizure of Mica flakes under Rule 11 (iv) of the said rule is illegal and without the authority of Law.

It is therefore prayed that your Honour may be kind enough to consider the above submissions, and be pleased to dismiss this Consfiscation proceeding initiated without jurisdiction of Jharkhand Minerals (Prevention of illegal Mining, Transportation and Storage) Rule, 2017 And/or Pass such orders as your honour may deem fit and proper. And/or it is further prayed that during the pendency of this confiscation proceeding; interim order may be passed staying the sealing of premises as the respondent is not able to enter into it on account of so-called seizure/sealing without the authority of law and Article 19(1)(g) of the Constitution of India and for this act of kindness the respondent shall ever pray.

दिनांक 28.01.2021 को विपक्षी संजय दारूका के विद्वान अधिवक्ता द्वारा पुनः लिखित जवाब दाखिल किया गया जो निम्नवत है:–

The confiscation case filed by the the District Mining Officer, Koderma (DMO) is not maintainable at all in absence of any criminal prosecution as the same is contrary to Section 21(4A) of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act 1957 as there is no order of Chief Judicial Magistrate on Record. The continuance of this case for 7 months is abuse of process of law as same should not have been admitted at the first place.

The primary issue raised by the District Mining Officer, Koderma (DMO) in support of his case on 15-12-2020 is non-availability of Dealer's Registration and legal source of seizie material in terms of of Jharkhand Minerals (Prevention of illegal Mining, Transportation and Storage) Rule, 2017. It is undisputed that the said rule is applicable on "**Mineral**" which has been defined in Rule 2(l) which adopts minor minerals as specified in Section 3e of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act 1957 (MMDR Act 1957) and not Schedule-ll of MMDR Act 1957. None the less the 2017 Rules is not applicable on Mineral products.

The fact is that the collection of secondary Mica from the leftover overburden of expired leases which have become Government Property now does not come within the definition of Mining operations and mineral and this is precisely the reason that the State Government has auctioned it through JSMDC. Had this been mining operation, then the approved Mining plan, environment clearance/CTE/CTO would have been required which is not the case. Now if this

auctioned overburden source does not require Dealer's Licence on account of being non-mineral, then how can the destination of it, be forced to operate through Dealer's Licence.

राज्य की ओर से जिला खनन् पदाधिकारी, कोडरमा द्वारा अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थिति होकर विषयांकित वाद में अपना पक्ष रखा गया। जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि कोडरमा जिला अन्तर्गत माईका खनिज का खनन पट्टा नहीं है। माईका एक लघु खनिज है। विपक्षी के पास Jharkhand Minerals (Prevention of illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2017 के आलोक में खनिज के कारोबार करने हेतु आवश्यक स्टॉक लाईसेन्स नहीं है। फलस्वरूप प्रथम दृष्ट्या प्रतीत होता है कि भण्डारणकर्त्ता द्वारा अवैध रूप से खनिज प्राप्त कर उसका भण्डारण कर व्यापार किया जा रहा है।

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता को सुना। उनके द्वारा भण्डारित खनिज के राज्यसात नहीं किये जाने के संबंध में तथा जब्त भण्डारित खनिज के संबंध में पर्याप्त वैध साक्ष्य नहीं उपलब्ध कराया गया है।

उभय पक्ष के सुनने एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि श्री संजय दारूका, पिता–श्री मधुसूदन दारूका, पता–नन्दी बाबा चौक, पो0–झुमरी तिलैया, थाना–तिलैया, जिला–कोडरमा के द्वारा Jharkhand Minerals (Prevention of illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2017 के नियम 7 का उल्लंघन कर माईका का भण्डारण किया जा रहा था।

अतः Jharkhand Minerals (Prevention of illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2017 के नियम 11 (v) के आलोक में सभी भण्डारित खनिज को राज्यसात किया जाता है। राज्यसात किये गये भण्डारित खनिज की निलामी हेतु जिला खनन पदाधिकारी, कोडरमा पूर्व में खान एवं भूतत्व विभाग, झारखंड सरकार के द्वारा राज्यसात किये गए खनिज का JSMDCL के माध्यम से निलामी कराने के दिशा–निर्देश/निर्णय के आलोक में सक्षम पदाधिकारी से अनुमति प्राप्त कर आगे की कार्रवाई करेंगे। कोडरमा अंचल के तिलैया बस्ती (सांई स्टील प्लॉट के सामने), पो0–झुमरी तिलैया, थाना–तिलैया में स्थित माईका (अभ्रक) खनिक के फैक्ट्री/गोदाम परिसर जो सील किया गया है, उसको खोलने का निदेश इस शर्त के साथ दिया जाता है कि विपक्षी माईका का कारोबार करने हेतु आवश्यक सभी प्रकार के लाईसेन्स/अनुमति संबंधित विभाग से प्राप्त करने के उपरांत हीं वहां पर कारोबार करेंगे। अनुमंडल पदाधिकारी, कोडरमा एवं जिला खनन पदाधिकारी, कोडरमा अपने टीम के साथ परिसर को सीलमुक्त करते वक्त पूर्व में जिम्मेनामे पर दिये गए भंडार का जॉच कर JSMDCL के द्वारा निलामी होने तक जब्त स्टॉक सुरक्षित रहे इस हेतु आवश्यक कार्रवाई भी सुनिश्चित करेंगे।

लेखापित एवं संशोधित

उपायुक्त, कोडरमा।

उपायुक्त
कोडरमा।

उपायुक्त का न्यायालय कोडरमा

Digitally signed by PARAS NATH YADAV
Date: 2021.10.01 04:14:06 -07:00
Location: 192.168.21.118